(ग) वे अपनी कुल कितनी सम्पत्ति अफगानिस्तान में छोड़कर आये हैं; और

(घ) उसे वापस दिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

*137. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हेतु अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गयी धन-राशि सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त धनराशि के व्यय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई पर्यवेक्षण/निगरानी की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि को उचित ढंग से व्यय किया था?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) संवैधानिक तौर से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए उत्तरदायी है अन्य सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रति वर्ष निधियों का आवंटन, संसाधनों की आवश्यकता एवं समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। पिछले दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए राज्यों द्वारा यथा सूचित आवंटन और खर्च निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	आवंटन	खर्च
1990-91	1108,51,000 रु०	1142,80,000 रु०
1991-92	1312,05,000 रु०	1366,62,000 रु०
1992-93 (दिसम्बर 92 तक)	1374,96,000 रु०	1065,30,000 रु०

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव संबंधी कार्यों के लिए राज्य सरकारें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय का क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक वर्ष राज्य के लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह के नवीनीकरण तथा सामान्य स्थिति संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है।

RSS propagation after Ban

*138. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite ban, RSS is running book-shops in Delhi and elsewhere and freely selling their literature and propagating their communal and Hindu Rashtra philosophy;

(b) whether Suruchi Prakashan is such a publisher in the Capital selling all such literature; and

(c) if so, why a banned organisation is permitted to carry out such activities?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (c) According to Delhi Administration, the book shop by the name of 'Suruchi Prakashan' is found selling RSS literature on Hindu Rashtra philosophy in addition to other books. A case under Section 153A of the Indian Penal Code, and Section 10 of the Unlawful Activity (Prevention) Act, 1967 has been registered, and is under investigation.